न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 32/2022

तारीख रजू:– 23.12.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया

R.A.S.

श्रीमती मोहरबाई पत्नि पुखराज जाति मीना निवासी मूल्या का पुरा (बरगमा) तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान ———————— अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बरगमा, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी जरिये सचिव ग्राम पंचायत बरगमा, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी ————— रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण आदेश दिं0 05.11.2022 सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा तहसील श्रीमहावीरजी पंचायत समिति श्रीमहावीरजी

उपस्थितः– 1.श्री मुरारीलाल एडवोकेट अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक :– 04.04.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट पेश कर अपील के मद नं01 में दर्ज किया है कि नामान्तकरण आदेश ग्राम पंचायत बरगमा खिलाफ कानून एवं रूयेदारमिलिल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं02 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट ने खाता सं0 74 नया के खसरा नम्बर 272 रकबा 0.40 है0, 273 रकबा 0.27 है0, 274 रकबा 0.27 है0, 289 रकबा 0.13 है0, 290 रकबा 0.07 है0, 294 रकबा 0.03 है0, 295 रकबा 0.24 है0, 296 रकबा 0.15 है0, 297 रकबा 0.24 है0, 299 रकबा 0.32 है0, 301 रकबा 0.26 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 2.38 है0 हिस्सा 1/8 जरिये रजिस्ट्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2024.01.09 12:25:17 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार श्रीमती उगन्ती पुत्री चिरंजीलाल जाति मीना निवासी मूल्याका पुरा बरगमा हाल वासी कोलोनी हाल एफ–4 नन्दपुरी प्रथम सहीद की मजार मालवीय नगर जयपुर से मुवलिग 350000/–रूपया में खरीद किया है।

अपील के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त भूमि के नामान्तकरण हेतु ग्राम पंचायत बरगमा के सरपंच के लिए प्रार्थीया अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया, ग्राम पंचायत बरगमा के सरपंच द्वाराउक्त नामान्तकरण में अनर्गल आरोप लगाकर उक्त आराजीयात भूमि पर ठण्डीराम का कब्जा है, ऐसा मानकर नामान्तकरण खारिज कर दिया है। ग्राम पंचायत से उक्त नामान्तकरण बदनियती पूर्वक खारिज कर दिया है।

अपील के मद नं04 में दर्ज किया है कि सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा द्वारा झूंठे तथ्यों के आधार पर उक्त नामान्तकरण को खारिज किया है। जबकि अपीलान्ट ने उक्त जमीन को खरीद करते वक्त ही अपने कब्जे में ले लिया और वर्तमान में अपीलान्ट ने उक्त आराजीयात में गैहूँ व सरसों की फसल काश्त की है, जो कि मौके पर सरसब्ज हालत में खडी है। इस कारण भी ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा खारिज किया गया नामान्तकरण रूयेदाद मिसिल है, इसलिए आदेश सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा रूयेदाद मिसिल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं05 में दर्ज किया है कि उपरोक्त खरीदशुदा आराजीयात पाक साफ थी तथा जिसपर नामान्तकरण खलने के लिए कोई रूकावट किसीप्रकार की नहीं थी, फिर सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा द्वारा नामान्तकरण को खारिज करने में भारी कानूनी भूल है, इस कारण आदेश नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है।

अपील के मद नं06 में [illegible] वरवक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेंगें।

अपील के मद नं08 में [illegible] है कि [illegible] की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय न्यायालय हाजा [illegible] अन्दर अवधि पेश है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश नामान्तकरण, ग्राम पंचायत बरगमा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2024.01.09 12:25:17 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमहावीरजी आदेश दिनांक 05.11.2022 को अपास्त फरमाया जाकर तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी को अपीलान्ट के हक में मद नं02 में वर्णित आराजीयात का

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.03.2023 को रेस्पोडेन्ट बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नामान्तकरण सं0 167 फैंसल दिनांक 05.11.2022, फोटो पति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.10.2022 उनवानी श्रीमती उगन्ती पुत्री चिरंजी जाति मीना निवासी मूल्या का पुरा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली हाल निवासी एफ–4, नन्दपुरी प्रथम, शहीद की मजार, मालवीय नगर, जयपुर बहक श्रीमती मोहरबाई मीना पत्नि श्री पुखराज मीना जाति मीना निवासी मूल्या का पुरा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली पेश किये हैं।

अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 3 के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नामान्तकरण सं0 167 फैंसल दिनांक 05.11.2022 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 272 रकबा 0.40 है0, 273 रकबा 0.27 है0, 274 रकबा 0.27 है0, 289 रकबा 0.13 है0, 290 रकबा 0.07 है0, 294 रकबा 0.03 है0, 295 रकबा 0.24 है0, 296 रकबा 0.15 है0, 297 रकबा 0.24 है0, 299 रकबा 0.32 है0, 301 रकबा 0.26 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 2.38 है0 वाके ग्राम मूल्या का पुरा का खातेदार [illegible] जाति मीना सा0 नंगलामीना खातेदार के स्थान पर मोहरबाई [illegible] हि01/8 जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक [illegible].10.2022 को भरा गया है तथा भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] को अपनी टिप्पणी अंकित की है कि मुताविक रिपोर्ट पटवारी एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार अंकन सही है तथा दिनांक 05.11.2022 को सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा ने उक्त नामान्तकरण पर यह नोट अंकित किया है कि नामान्तकरण खारिज योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Ku Harsolia
Date: 2024.01.09 12:25:17 IS
Reason: SelfAttested

है, यह जमीन ठण्डी मोहर के पास है, इस पर कब्जा उगन्तीका नहीं है। नामान्तकरण अस्वीकार किया गया है।

फोटो पति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.10.2022 उनवानी श्रीमती उगन्ती पुत्री चिरंजी जाति मीना निवासी मूल्या का पुरा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली हाल निवासी एफ–4, नन्दपुरी प्रथम, शहीद की मजार, मालवीय नगर, जयपुर बहक श्रीमती मोहरबाई मीना पत्नि श्री पुखराज मीना जाति मीना निवासी मूल्या का पुरा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 272 रकबा 0.40 है0, 273 रकबा 0.27 है0, 274 रकबा 0.27 है0, 289 रकबा 0.13 है0, 290 रकबा 0.07 है0, 294 रकबा 0.03 है0, 295 रकबा 0.24 है0, 296 रकबा 0.15 है0, 297 रकबा 0.24 है0, 299 रकबा 0.32 है0, 301 रकबा 0.26 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 2.38 है0 वाके ग्राम मूल्या का पुरा तहसील श्रीमहावीरजी में विक्रेती उगन्ती ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 भाग की भूमि को क्रेती श्रीमती मोहरबाई के हक में बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा भी विक्रेती के द्वारा क्रेती श्रीमती मोहरबाई को मौके पर संभलाना भी अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 272 रकबा 0.40 है0, 273 रकबा 0.27 है0, 274 रकबा 0.27 है0, 289 रकबा 0.13 है0, 290 रकबा 0.07 है0, 294 रकबा 0.03 है0, 295 रकबा 0.24 है0, 296 रकबा 0.15 है0, 297 रकबा 0.24 है0, 299 रकबा 0.32 है0, 301 रकबा 0.26 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 2.38 है0 वाके ग्राम मूल्या का पुरा तहसील श्रीमहावीरजी में विक्रेती उगन्ती ने अपने सम्पूर्ण हिस्सा 1/8 भाग की भूमि को क्रेती श्रीमती मोहरबाई के हक में बेचान किया गया है तथा विक्रीत [illegible] कब्जा भी विक्रेती के द्वारा क्रेती श्रीमती मोहरबाई को मौके पर संभला[illegible] उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी [illegible] द्वारा दिनांक [illegible].2022 को नामान्तकरण सं0 167 सही भरा गया है तथा भू-अभिलेख [illegible] दिनांक 28.10.2022 को अपनी टिप्पणी भी सही अंकित कि मुताविक रिपोर्ट पटवारी एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार अंकन सही है तथा किन्तु दिनांक 05.11.2022 को सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा ने उक्त नामान्तकरण पर यह नोट अंकित किया है कि नामान्तकरण खारिज योग्य है, यह जमीन ठण्डी मोहर के पास है, इस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kur
Harsolia
Date: 2024.01.09 12:25:17 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा उगन्ती का नहीं है। नामान्तकरण अस्वीकार किया गया है। जबकि मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेती मोहरबाई का खरीदशुदा आराजीयात पर कब्जा काश्त कानूनन साबित है। सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त नामान्तकरण को द्वेषता पूर्वक निरस्त किया गया है। पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तकरण सही भरा गया है तथा गिरदावर हल्का ने भी अपनी टिप्पणी मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सही की है। ऐसे हालत में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तकरण सं0 167 पर सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा का आदेश दिनांक 05.11.2022 निरस्त किया जाकर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को प्रकरण की विधिवत सुनवाई कर उचित आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः पारित अपीलांट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तकरण सं0 167 सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा का आदेश दिनांक 05.11.2022 निरस्त किया जाकर तहसीलदार श्रीमहावीरजी को उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार पुनः विधिवत सुनवाई कर उचित आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाकर निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2024.01.09 12:25:17 IST
Reason: SelfAttested